जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

175/20

13

**अपील सूचना अधिकार संख्या 175/2015 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**26–12–2016**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन था कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 19.10.15 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से सूचनाएं चाही गयी थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई हैं, जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2015 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

> प्रार्थी का पत्रांक 5121 दिनांक 03.08.15 माननीय मुख्य मन्त्री महोदय राज0 सरकार से प्राप्त प्रार्थना पत्र पर प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण की कार्यवाही बाबत सूचनाः–
>
> 1. प्रार्थी का उक्त पत्रांक 5121 दिनांक 03.08.15 आपके कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व आर/आर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 2. आपका पत्रांक 666 दिनांक 28.05.2015 जो कि प्रार्थी को 16.06.2015 को प्राप्त हुआ व 11.05.2015 में आपके विभाग द्वारा डाकखाने में भिजवाया गया है। अतः 28.05.2015 से दिनांक 11.05.2015 तक पत्र जिस कर्मकार के पास रहा उसका नाम व पद की सूचना।
> 3. विभागीय नियमों के अनुसार पत्र दर्ज होने के उपरान्त जिस अवधि में डाक विभाग को सुपुर्दगी हेतु देना होता है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि ।
> 4. 15 दिन तक कर्मकार द्वारा अपने पास पत्र रखने पर उसके विरूद्ध विभाग के जिस अधिनियम या नियम के अन्तर्गत कार्यवाही नही की गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 5. प्रभारी अधिकारी मुख्य मन्त्री प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर के पत्रांक विविध दिनांक 27.05.2015 की पालना में माननीय मुख्य मन्त्री, राज0 सरकार के आदेश की पालना में विविध पत्रांक 20343/15/2015/7332 दिनांक 27.05.15 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता मंगतराम सेतिया व कनिष्ट अभियन्ता श्री वेदप्रकाश सहारण के विरूद्ध की गई कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 6. पत्रांक आपके विभाग 666 दिनांक 28.05.2015 जो कि आयुक्त नगरपरिषद श्रीगंगानगर को संबोधित है उसके द्वारा की गयी नगरपरिषद द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 7. कार्यवाही न करने पर आप द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के आदेश की पालना न करने पर नगरपरिषद के अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 8. आपके पत्रांक 666 दिनांक 28.05.2015 की पालना में आयुक्त नगरपरिषद, श्रीगंगानगर द्वारा श्री मंगतराम सेतिया सहायक अभियन्ता व श्री वेदप्रकाश सहारण कनिष्ट अभियन्ता नगर परिषद श्रीगंगानगर के विरूद्ध कार्यवाही न करना आपके आदेश की अवहेलना जानबूझकर करना है, इस बाबत सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलै श्रीगंगानग 175/2

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 330 दि0 29.03.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1907 दिनांक 16.11.2015 के द्वारा प्रार्थी को पंजिकृत डाक द्वारा समय पर उपलब्ध करवा दी गयी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1907 दि0 16.11.2015 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया है:–

> आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के संबंध में लेख है कि:–
>
> बिन्दु सं0 1 से 8 के तहत चाही गई सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतू आवेदन कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 1 से 8 तक की जो सूचनांए चाही गई है वह कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 16.11.2015 सही है फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा॰

( ज्ञाना राम )
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर